

राजस्थान सरकार



निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन, जय सिंह हाईवे, जयपुर-302016

क्रमांक:-प.4(2)/सीआरएस/एसआईपीएफ/लोक सेवा. गारन्टी एमपीआर/2024 80 दिनांक:-16/04/2025

अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
मुख्यालय, जयपुर।

विषय:-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के मासिक प्रतिवेदन माह मार्च 2025 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी जिलों के राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के मासिक प्रतिवेदन विवरण की सूचना निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	अपीलार्थी का नाम व पता	प्रथम अपील फाईल करने की तारीख	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम (कार्यालय के नाम के साथ) जिसके आदेश के विरुद्ध अपील फाईल की गई है।	प्रथम अपील के निपटान के लिये नियत समय सीमा की अंतिम तारीख	अपील आदेश की तारीख और ब्यौरे
1	2	3	4	5	6
शून्य					

भवदीय

अतिरिक्त निदेशक (शिकायत निवारण)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
मुख्यालय, जयपुर

Validity unknownSignature valid



Digitally signed by V. was Pareek
Designation : Additional Director
Date: 2025.04.16 14:47:28 IST
Reason: Approval